III/निग०/सतना/भू-रा०/2017/3766

76

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

श्रंखला न्यायालय रीवा म0प्र0

रा0नि0क्रं0–............../2017

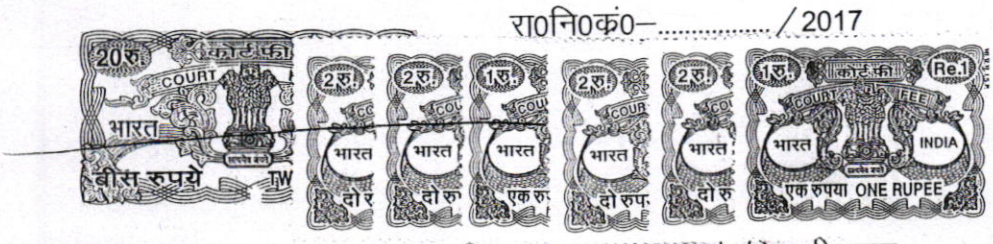

पुष्पेन्द्र सिंह तनय स्व0 बीरबहादुर सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बाबूपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प0————————निगराकार 30/-

बनाम्

फतेबहादुर सिंह तनय स्व0 श्री शिवबालक सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम फुटौधा तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प0——गैरनिगराकार/आवेदक

आवेदक श्रीपुष्पेन्द्र सिंह द्वारा पेश 9.10.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त रामस्थान तहसील रघुराजनगर रा.प्र. क. 63 अ 12/2016–17 में पारित आदेश दिनाक 30.07.2017 जिला सतना की आ0नं0 147/2/1 रकवा 0.106 हे0 की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 30.07.2017 को रद्द किये जाने बावत्

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

महोदय,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :—

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य

1— यह कि राजस्व निरीक्षक रामस्थान तहसील रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय में गैर निगराकार/आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

निगरानी प्रकरण कमांक तीन–निग/सतना/भू.रा./2017/3766

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रामस्थान तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 63 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30–7–17 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने मौजा मुटौधा की आराजी कमांक 147/2/1 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक रामस्थान तहसील रघुराजनगर प्रकरण कमांक 63 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की सूचना जारी की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी के साथ दिनांक 10–7–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन बनाया। तदुपरांत प्रकरण कमांक 63 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 30–7–17 पारित किया है तथा सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदकों के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक ने अनावेदक को सूचना दिये बिना चोरी छिपे सीमांकन किया है जिसकी सूचना आवेदक को नहीं हुई यदि आवेदक को सीमांकन की सूचना दी जाती है, निश्चित है वह अपना पक्ष समर्थन करता । अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन	

कराने की वह अधिकारी है। अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 30–7–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य